

6/11/13  
T. U. J. J. S.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ....of 2013

Kumari Pushpalata .....Petitioner.

**Versus**

The State of Bihar and Others .....Respondents.

**Subject:** - Appointment Matter  
(School Service)

**I N D E X**

SL. No.	Particulars	pages
1.	An application Under Article 226 of the Constitution of India.	01-20
2.	<b><u>Annexure- 1 Series.</u></b> Photo Copies of the admit card of matriculation examination and mark sheet of Intermediate examination.	21- 22
3.	<b><u>Annexure- 2.</u></b> A Photo Copy of the appointment letter dated 27.10.2007.	23

B

4.	<b><u>Annexure- 3.</u></b> A Photo Copy of the letter dated 20.06.2008.	24-29
5.	<b><u>Annexure- 4.</u></b> A Photo Copy of the letter dated 08.11.2008.	30
6.	<b><u>Annexure- 5 Series.</u></b> A Photo Copy of the some of the representations dated 14.09.2012 and 01.10.2012.	31-32
7.	<b>Vakalatnama.</b>	

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

**(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J.C. No. ....of 2013

Kumari Pushpalata .....**Petitioner.**

**Versus**

The State of Bihar and Others .....**Respondents.**

**S Y N O P S I S**

**Relief:-**

Prayer for commanding the concerned respondents to continue the petitioner after accepting his joining, on the post of Panchayat Teacher in Primary School, Moujama at Gram Panchat Jirva Madhaili, under Block-Shankarpur in District- Madhepura in the light of appointment / employment letter dated 21.10.2007 whereby and where under petitioner was already appointed and was allowed to discharge his duty orally.

18.12.1977      Date of birth of the petitioner is  
recorded      in      matriculation

## II

certificate.

1992                      Petitioner                      passed                      his  
matriculation examination.

1994                      ~~she~~<sup>he</sup> passed                      ~~his~~ intermediate  
(Annexure- 1)                      examination in second division.

01.07.2006                      Government of Bihar has enacted  
the recruitment rules in  
connection with appointment of  
Panchayat Teacher and the  
necessary communication were made  
under notification no. 974 dated  
01.07.2006. That petitioner has  
required qualification for being  
selected on the post of Panchayat  
Teacher. Therefore she submitted  
her application form properly  
before concerned authorities in  
the light of advertisement. Her  
application form was accepted and  
merit list was prepared according

### III

to roaster thereafter they have been selected and appointed.

27.10.2007  
(Annexure- 2) Petitioner was appointed in Primary School, Moujma in unreserved category.

20.06.2008  
(Annexure- 3) That selection process was enquired and according to roaster persons including petitioner were appointed.

08.11.2008  
(Annexure- 4) A letter was issued by the concerned authorities as regarding the payment of appointed teacher.

08.07.2009  
16.08.2010  
22.07.2011  
14.09.2012 &  
01.10.2012  
(Annexure- 6) Representations have been submitted before the concerned authorities as regarding her grievance but no any action has been taken up as yet.

**Hence this writ application.**

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

**(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J.C. No. ....of 2013

In the matter of an  
application Under  
Article 226 of the  
Constitution of India.

**And**

In the matter of;

Kumari Pushpalata, Wife of Sri Binod Kumar,  
Resident of Village- Jhitkiya, Police Station-  
Ghailadh, District- Madhepura.

**..Petitioner.**

**Versus**

1. The State of Bihar.
2. The Principal Secretary, Human Resources  
Development Department, Government of  
Bihar, Patna.

3. The Director Primary Education, Human Resources Development Department, Government of Bihar, Patna.
4. The District Magistrate, Madhepura, District- Madhepura.
5. The District Education Officer, Police Station and District- Madhepura.
6. The Block Education Extension Officer, Block- Shankarpur, Police Station- Shankarpur, District- Madhepura.
7. The Block Development Officer, Shankarpur Block- Shankarpur, District- Madhepura.
8. Mukhiya, Gram Panchayat Madhaili Jirva, Police Station- Shankarpur, District- Madhepura.
9. Panchayat Secretary, Gram Panchayat Jirva Madhaili, Police Station- Shankarpur, District- Madhepura.

**..Respondents.**

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the above named petitioner;

**MOST RESPECTFULLY SHEWETH:**

1. That this is an application on behalf of the petitioner for grant of the following reliefs:-

(i) For commanding the concerned respondents to continue the petitioner after accepting her joining on the post of Panchayat Teacher in Primary School, Moujma at Gram Panchayat Jirva Madhaili, under Block- Shankarpur in District- Madhepura in the light



of appointment / employment letter dated 21.10.2007 whereby and where under petitioner was already appointed and was allowed to discharge ~~his~~ duty orally.

**(ii)** For any other relief or reliefs for which the petitioner may be found entitled there to as this Hon'ble Court may consider just and proper in the facts and circumstances of the present case.

2. That the present writ application is filed inter-alia on the following main grounds:-

**(i)** Whether the respondent authorities have justified without accepting the joining letter of the petitioner when appointment letter has already been issued by him?

**(ii)** Whether respondent authorities have failed to appreciate that

teachers like petitioner have been appointed and allowed to discharge ~~his~~ duty on the posts of teacher after testing eligibility for the said post and thereafter joining of the petitioner has not been accepted but she was allowed to discharge ~~his~~ duty orally?

**(iii)** Whether the impugned action is the best example for the non application of the minds in connection with the jurisdiction as well as the abuse of power and authority, even in absence of valid and the reasonable grounds and above on the reasons the necessary legal interference is required in the present case?

**(iv)** Whether the several candidates were selected on the post of said Panchayat Teachers by letter dated

20.06.2008 and thereafter they have been discharging their duties but only petitioner was deprived from the said post illegally?

(v) Whether the actions of the respondent authorities give the smell of biasness and the arbitrariness and on the said backgrounds demand of the law required the interference with extent to the present writ and the authorities may be directed to give the similar treatment by extending the same benefit to him, which has already been granted to other teachers working in the different schools (vide letter dated 20.06.2008)?

(vi) Whether the action of the respondent authorities are malafide, arbitrary, without

jurisdiction as well as abuse of power?

- (vii)** Whether the act of the respondent authorities is an attempt to frustrate the object of Panchayat Rajya system as also to frustrate object of educating the children of 6 to 14 years of age.
- (viii)** Whether the action of respondent shows colorable exercise of power as non application of mind?
- (ix)** Whether petitioner was deprived from her service without issuing him any show cause or notice is the total and violation of principle of natural justice and violative of article 14 and 16 of the Constitution of India?
- (x)** Whether the action of the respondent authorities are otherwise bed in law and facts?

(xi) Whether that the impugned action now threatening petitioner's fundamental right as well as other rights and liable to cause permanent injury?

3. That the petitioner is a citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court and she fulfils all the requisite qualifications for the post of Panchayat Teacher in Gram Panchayat 'Jirva Madhili' and now she has been deprived from the said post of Panchayat Teacher.
4. That it is stated and humbly submitted that the government of Bihar has enacted the recruitment rules in connection with the appointment of Panchayat Teacher and the necessary communication were made under notification no. 974 dated 01.07.2006.

5. That it is stated and humbly submitted that from the plain reading to the government notification dated 01.07.2006 as discussed above dealing the employment and service condition of the teachers it is obvious that the eligibility criteria has already been dealt with in section II, the fact reveals that the candidates must possess the qualification of Intermediate.
6. That it is stated and humbly submitted that the service conditions as well explained is very much clear that there is no criteria / provision under the said rule and alone on the reasons the steps taken by the concerns authorities is highly unreasonable, contrary to the recruitment rules as well as the violative to the right conferred under Article 14 of the Constitution of India

which deals the right of equity before law.

7. That petitioner has requisite qualification for selecting on the post of Panchayat Teacher. She passed her Matriculation Examination in the year 1992 and she also obtained her certificate her date of birth is recorded as on 18.12.1977. Thereafter petitioner passed her Intermediate examination in the year 1994 with Second Division.

Photo Copies of the admit card of matriculation examination and mark sheet of Intermediate examination are being annexed herewith and marked as **Annexure- 1 Series** of the writ application.

8. That petitioner has required qualification for being selected on the post of Panchayat Teacher. Therefore she submitted her application form properly before concerned authority in the light of advertisement dated 01.07.2006 for Panchayat Teacher in Gram Panchayat Jirva Madhaili under Block- Shankarpur in District- Madhepura. Her application form was accepted and merit list was prepared.
9. That according to roster, merit list was prepared and total 17 posts were fulfilled in Gram Panchayat Jirva Madhili from the said merit list. That accordingly nine posts were reserved for female category and eight posts were reserved for male category.
10. That according to roster nine female candidates were appointed including petitioner on the post of Panchayat Teachers. That five unreserved posts of



Panchayat Teachers were sanctioned and they have been selected and appointed. Petitioner was also appointed in Primary School Moujma in unreserved category that two posts were earmarked for Most Backward class one post was earmarked for backward class and remaining one post was also earmarked for schedule caste.

A Photo Copy of the appointment letter dated 27.10.2007 is being annexed herewith and marked as Annexure- 2 of the writ application.

11. That selection process was enquired by the concerned authorities and according to roster several persons including petitioner were appointed in the concerned schools.

A Photo Copy of the  
letter dated  
20.06.2008 is being  
annexed herewith and  
marked as Annexure- 3  
of the writ  
application.

12. That petitioner has joined thereafter and discharging his duties for the satisfaction of all concerned. But joining letter of this petitioner has not been accepted.

13. That petitioner submitted his representations before concerned authorities as regarding his payment on the post of teacher but same was not paid as yet. However letter no. 963 has already been issued as regarding the payment of appointment Panchayat Teacher.

A Photo Copy of the  
letter dated

08.11.2008 is being annexed herewith and marked as Annexure- 4 of the writ application.

14. That it is stated and humbly submitted that the large number of the candidates possessing the requisite qualification of Panchayat Teacher were duly considered by the State Government and subsequently they have been appointed and posted against the respective posts as Panchayat Teachers and they have been discharging this duties. It is further submitted that after enquiry once the authorities are satisfied from their candidature and accepted then authorities have no jurisdiction to over look / side tract the object behind the appointment and take the decision for ignoring the payment. In fact the law did not permit

to ignore the payment of the petitioner, who has already been allowed to discharge his duty for the said post of Panchayat Teacher. Now he has been deprived from his service due to non-fulfillment of illegal demand.

15. That petitioner has been deprived from his service without any notice or show cause.
16. That the petitioner has been discharging her duty but her salary has not been paid she regularly consulted the concerned authority as regarding her salary but same has not been paid as yet only assured to be paid her salary as possible as earlier.
17. That petitioner submitted her several representations before concerned authorities as regarding her joining and payment of her salary as regarding for

discharging her duty but no any action has been taken up as yet.

A Photo Copy of the some of the representations dated 14.09.2012 and 01.10.2012 are being annexed herewith and marked as **Annexure- 5 Series** of the writ application.

18. That the action of the authorities are unconstitutional, invalid, incapable and the same cannot be given effects too rather it would be struck down.
19. That there is violation of natural justice as well as article 14 and 16 of the Constitution of India.
20. That in view of the facts and circumstances as mentioned above and taking in to consideration in its totally

it is just and proper that the writ application may be allowed and the reliefs sought for in paragraph no. 1 may be granted in favour of petitioner who is entitled for the relief in terms of right conferred by the Constitution of India as well as Judicial Pronouncement as discussed by this Hon'ble Court.

21. That the writ petitioner has no other efficacious and / or alternative remedy except to move this Hon'ble Court in writ jurisdiction which would be more adequate and proper.

22. That in the aforesaid facts and circumstances, interest of justice demands that the petitioner may be regularized on the said post of Panchayat Teacher in Gram Panchayat Jirva Madhaili under Block- Shankarpur in District- Madhepura.

23. That the writ petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier for the grant of relief as mentioned in paragraph no. 1 to this writ petition.

It is, therefore, prayed that your Lordships would graciously be pleased to admit this application, issued Rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for in paragraph no. 1 be not granted and after return of the Rule and hearing the parties be further graciously pleased to make the Rule absolute.

**And**

It is also prayed that during the pendency of this writ petition petitioner may be

allowed to discharge her duty  
on the said post.

**And / Or**

Pass such other order / orders  
as your lordships may deem fit  
and proper in the facts and  
circumstances of this case.

**And for this the petitioner shall ever pray.**



**Affidavit**

I, Kumari Pushpalata, aged about 35 years, Wife of Sri Binod Kumar, Resident of Village- Jhitkiya, Police Station- Ghailadh, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood.
3. That the statements contained in paragraph nos. .... are true to my knowledge, those contained in paragraph nos. .... are true to my information and rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true / photo copies of their respective originals.

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

Annexure-1 Series



प्रवेश-पत्र

श्री/कु. KUMARI PUSHPALATA

जो श्री RAMDHARI PD YADAV

जिनकी जन्म-तिथि 18/12/1977

दिनांक 28/04/1992

वार्षिक/मूक/माध्यमिक परीक्षा/१९९१/१९९२ में रोलकोड 4315

क्रमांक 0170

के अन्तर्गत T N HIGH SCHOOL SIRNIA

परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

छात्र/छात्रा की पहचान संलग्न पहचान-पत्र के आधार पर कराने की व्यवस्था करें।

के पुत्र/पुत्री हैं और

है, को

से प्रारंभ होनेवाली

P. P. FORMS

कार्यवाह सहायक का  
हस्ताक्षर

प्रशाखा पदाधिकारी

सचिव

स्वामिप्रमाणित  
कुमारी पुष्पलता

No. 1

54290

BIHAR INTERMEDIATE EDUCATION COUNCIL, PATNA

I. A.



The following are the marks obtained by

*Kumar*

*Sushanta*

Roll

6106

No.

300/12

Enlistment No. 5537108

of 19 92

at the Intermediate Examination in Arts 1994

held in the month of

April

19 94

Subjects	Rashtra Bhasha Hindi	Rashtra Bhasha (Non Hindi) & M. B. 50 + 50	Language and Literature Compulsory (.....)	OPTIONAL I (.....)		OPTIONAL II (.....)		OPTIONAL III (.....)		ADDITIONAL (.....)		TOTAL (To be written in words also)	REMARKS
				Theory	Practical	Theory	Practical	Theory	Practical	Theory	Practical		
Full Marks	100	50+50	200	200	200	200	200	200	200	50			
Pass marks	30	30	60	60	60	60	60	60	60	20			
Marks obtained by the candidate	50	—	104	106	—	45	96	76	47	97	—	524	Pass in 3rd. also.

RS. 15/-

Asst. - in - Charge

S. O.

Tabulator

Secretary

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

# पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

सेवा में,

Amesore-2

श्री/सुश्री/श्रीमती कुमारी पुष्पलता  
 प्रसन्नतापूर्वक सूचित करना है कि जिरवा मधेली पंचायत के अन्तर्गत खंड विकास प्रखण्ड  
मौजमा विद्यालय पंचायत शिक्षक में शिक्षक (प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित) के रूप में  
 नियोजित करने हेतु आपका चयन किया गया है।


आपका नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2006 के अनुसार होगा।  
 अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया निम्नांकित प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए इस अधोहस्ताक्षरों के  
 कार्यालय में सुपुर्द करें तथा दस दिनों के अन्दर उपरोक्त विद्यालय में योगदान दें।

नोट:- 1. नियोजन औपबन्धिक है।

2. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र सत्यापन के उद्देश्य गलत पाये जाने पर आपका नियोजन स्वतः रद्द  
 समझा जायगा।

तिथि:- 27/10/07


स्थान:- जिरवा मधेली

  
 प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
27/10/07  
 पूरा नाम, कार्यालय तथा मुहर

ज्ञापांक 02-नि० /

दिनांक 27/10/07 /


प्रतिलिपि:- संबंधित पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक एवं संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानशिक्षक को सूचनाार्थ  
 एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। संबंधित प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि नियोजित पंचायत शिक्षक के योगदान  
 की सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी को दें।


  
 हस्ताक्षर  
27/10/07  
 पंचायत सचिव

ज्ञापांक 02-नि० /

दिनांक 27/10/07 /

प्रतिलिपि:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी शंकरपुर को सेवा में सूचनाार्थ एवं  
 आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

  
 पंचायत सचिव  
 जिरवा, मधेली



पत्रांक..... 500

(24)

Amexide-3 874  
25.6.08

जिला शिक्षा अधीक्षक,  
मधेपुरा।

उप-विकास आयुक्त,  
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 20/06/08

विषय :- श्री नरोत्तम कुमार एवं अन्य द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित आरोप की जाँच पर प्रतिवेदन समर्पित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,— उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक-1115 सपत्र, जि० वि० अमि० दिनांक-18.04.08 के क्रम में सादर सूचित करना है कि श्री नरोत्तम कुमार एवं अन्य का आवेदन पत्र जिसकी छायाप्रति भवदीय उक्त पत्र के साथ प्राप्त हुई है, के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक-298 दिनांक-19.04.08 द्वारा पंचायत सचिव/मुखिया, ग्राम पंचायत, जिरवा मधैली से शिक्षक नियोजन, 2006 संबंधी सभी मूल अभिलेख तथा सभी नियोजित शिक्षकों के सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल रूप में जमा करने का निदेश दिया गया एवं प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर को भी दी गई। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक-343 दिनांक-08.05.08 द्वारा पंचायत सचिव, जिरवा मधैली पंचायत, पत्रांक-344 दिनांक-07.05.08 द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, शंकरपुर, सिंहेश्वर पूर्व को स्मारित किया गया। संचिका अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री अवधेश पासवान, पंचायत सचिव, जिरवा, मधैली द्वारा दिनांक-01.03.08 को ही उक्त पंचायत का शिक्षक पत्र पंजी/मेघा सूची की छायाप्रति एवं नियोजन संबंधी कार्यवाही पुस्तिका की छायाप्रति के साथ नियोजित शिक्षकों का मानदेय भुगतान हेतु मांग पत्र इस कार्यालय को समर्पित किया जा चुका है। संगत अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य दृष्टिगोचर हुए।

1. विभाग द्वारा इस पंचायत को कुल 17 पद की स्वीकृति नियोजन हेतु प्रदान की गई है।
2. उपरोक्त रिक्ति के विरुद्ध इस पंचायत में कुल 1334 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसकी पुष्टि प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी से होती है। किन्तु क्रमांक 356 की पुनरावृत्ति है इस प्रकार कुल 1335 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।
3. स्वीकृति कुल 17 पद के विरुद्ध पूर्व पंचायत सचिव श्री अमोद रंजन पाठक द्वारा कुल 10 अभ्यर्थी जिसमें 4 महिला एवं 6 पुरुष की नियोजित किया गया। इस नियोजन में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक 151-2 दिनांक-26.03.08 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा

25

नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

इस नियोजित शिक्षकों की जाँच के क्रम में जो तथ्य उजागर हुए थे घोर आश्चर्य जनक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर के उपरोक्त क्रमांक 01 से 10 तक के शिक्षकों की जाँच क्रमानुसार करने पर निम्न स्थिति पाई गई।

1. श्री गजेन्द्र मोदी: आवेदन पंजी के क्रमांक 394 एवं क्रमांक 1002 पर इनके आवेदन पत्र का विवरण अंकित है और दो बार आवेदन किया गया है जिसमें क्रमशः 383 एवं 583 मैट्रिक का अंक एवं प्रशिक्षण का अंक क्रमशः 394 क्रमांक पर 1005 अंक दर्शाया गया है। वहीं क्रमांक 1002 पर 1105 अंक को काट कर 1115 बनाया गया है। क्रमांक 394 में पूर्व लिखित प्रिया झा पिता महेश चन्द्र झा का नाम काट कर गजेन्द्र मोदी का नाम चढ़ाया गया है। इस कोटि में इसने अधिक अंक वाले का नियोजन किया गया है।
2. श्री रविन्द्र कुमार रवि: की नियुक्ति वर्ष 2005 में शिक्षा मित्र के पद पर प्राथमिक विद्यालय, हिरोलवा में हुई है जिसे पूर्व से भुगतान हेतु राशि दी जाती रही है। इनका भी नाम इस नियोजन में दिया गया है, जबकि इस कोटि में इनसे अधिक अंक आवेदक हैं। आवेदन पंजी में इनके 62.77 प्रतिशत अंक को काट कर 71.33 प्रतिशत किया गया है। जो संदेहास्पद रहने के कारण नियोजन नहीं किया गया है।
3. श्री सिकन्दर यादव का आवेदन पत्र दो बार आवेदन पंजी में दर्शाया गया है, जिसमें क्रमांक 40 में 54 प्रतिशत एवं क्रमांक 1208 में 56.08 प्रतिशत अंक प्रशिक्षण में दर्शाया गया है। जो संदेहास्पद है।
4. श्री उपेन्द्र नारायण: आवेदन पंजी क्रमांक 06 पर उपेन्द्र नारायण का आवेदन पत्र का विवरण अंकित है और इन्हें 64 प्रतिशत अंक प्रशिक्षण में दिखा कर नियोजन किया गया है जबकि इसी कोटि के क्रमांक दो पर अंकित श्री संजय कुमार भगत को 67.57 प्रतिशत अंक दिखाया गया है और इनका नियोजन नहीं किया गया है। इस कोटि में श्री संजय कुमार भगत जिसे 67.57 प्रतिशत अंक है अन्यत्र नियोजित है। जाने के कारण इस पंचायत में नियोजन नहीं करने की अधिच्छा दी है। अतः श्री उपेन्द्र नारायण का दावा गलत है।
5. सरिता कुमारी : नियोजन के समय ये व्यावसायिक शिक्षा कोर्स से इंटर थी जिनका नियोजन विभागीय नियमानुसार नहीं करना था जो किया गया है।
6. रेणुका कुमारी : इस कोटि में प्रशिक्षण उम्मीदवार के रहते हुए अप्रशिक्षित अभ्यर्थी के रूप में श्रीमती रेणुका कुमारी का नियोजन किया गया है। जो गलत है।
7. आवेदन पंजी के क्रमांक 340 एवं 341 पर श्री रविन्द्र राम के आवेदन पत्र का विवरण अंकित है। क्रमांक 340 पर इन्हें 76.88 प्रतिशत एवं क्रमांक 341 पर इन्हें 56.66 प्रतिशत

- अंक इंटर में दर्शाया गया है। जबकि इसी कोटि के प्रशिक्षित उम्मीदवार श्री उमेश राम जिनका आवेदन पत्र क्रमांक 99 पर विवरण अंकित है, उसे छोड़ दिया गया है।
8. रानी कुमारी: इस कोटि में प्रशिक्षण महिला रीतुराज का नियोजन किया गया है इस प्रकार रानी कुमारी का दावा अवैध प्रतीत होता है। ये अप्रशिक्षित हैं।
  9. सरस्वती भारती : अनुसूचित जाति के महिला कोटि में इनका नियोजन किया गया है जो सही प्रतीत होता है।
  10. करमजीत ऋषिदेव : इनका आवेदन पत्र का विवरण क्रमांक 356 एवं क्रमांक 597 पर दो बार विवरण अंकित है। क्रमांक 356 पर इन्हें 56 प्रतिशत अंक एवं क्रमांक 597 पर 61.4 प्रतिशत अंक दर्शाया गया है। जो संदेहास्पद है। इस कोटि में श्री उमेश राम का नियोजन किया है जो प्रशिक्षित है।

प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सिंहेश्वर पूर्व ने अपने पत्रांक 68 दिनांक 04.03.08 द्वारा जो चयनित पंजी प्रेषित की है, उसी के अनुरूप प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर का उपरोक्त पत्र प्राप्त है। स्पष्ट है कि इन्होंने बगैर मूल आवेदन पंजी का अवलोकन किए मानदेय भुगतान हेतु अनुशंसा और मांग पत्र भेज दिया और विभागीय उच्चाधिकारी को गुमराह कर उपरोक्त नियोजित शिक्षकों का मानदेय भुगतान हेतु चक निर्गत करवाने में सफल रहें। भवदीय पत्रांक 1001 दिनांक 04.04.08 की प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर को दी गई और इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने पत्रांक 212-2 दिनांक 19.04.08 के द्वारा श्री सत्यनारायण यादव, पंचायत सचिव जिरवा मधैली पंचायत को अपने पत्रांक 203-2 दिनांक 15.04.08 जिसमें नव नियोजित शिक्षकों को मानदेय भुगतान की अनुशंसा की थी पर रोक लगा दिया गया। और जानकारी मिली है कि इन अवैध शिक्षकों को भुगतान नहीं दिया गया है। अगर भुगतान कर दिया जाता तो वित्तीय अनियमितता से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पूर्व पंचायत सचिव श्री अमोद रंजन पाठक एवं श्री सत्यनारायण यादव के साथ मुखिया, ग्राम पंचायत, जिरवा मधैली का इस अनियमित नियोजन में सहभागिता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस पंचायत का प्रभार दिनांक 15.09.07 को श्री अवधेश पासवान पंचायत सचिव को दिया गया और उनके द्वारा उपरोक्त दस में से 07 शिक्षकों के नियोजन को दिनांक 26.09.07 की बैठक के निर्णयानुसार रद्द किया गया और नियोजन रद्द संबंधी पत्र संकुल एवं संबंधित शिक्षक को निबंधित डाक से भेजा गया जो बैठक की कार्यवाही एवं निबंधन रसीद से स्पष्ट है। पता नहीं किस आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, शंकरपुर (सिंहेश्वर पूर्व) ने भुगतान हेतु मांग पत्र और नियोजित रद्द शिक्षकों की सूची भेज दी। नियोजन रद्द शिक्षकों की सूची मुखिया श्रीमती रेणु देवी, ग्राम पंचायत, जिरवा

मधैली एवं श्री सत्य नारायण यादव, पूर्व पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, जिरवा मधैली द्वारा श्री भुगतान हेतु भेजी गई। इन सभी पदाधिकारी / कर्मचारियों ने बिना मूल अभिलेख के अवलोकन किए ही मांग पत्र एवं भुगतान हेतु अनुरोध पत्र भेजा जो पूर्ण रूपेण अवैध था।

इसी बैठक में निर्णय लिया गया कि पुनः मेधा सूची का निर्माण कर मेधा अंक के अनुसार नियोजन करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया जिस पर श्रीमती रेणु देवी, मुखिया / श्री अवधेश पासवान, पंचायत सचिव एवं ब्रह्मदेव राम वार्ड सदस्य का स्पष्ट हस्ताक्षर अंकित है। श्री अवधेश पासवान पंचायत सचिव को बैठक के निर्णयानुसार नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु आदेश दिया गया।

इस बैठक के निर्णयानुसार दिनांक 27.10.07 को पुनः बुलाई गई जिसमें श्रीमती रेणु देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत, जिरवा मधैली अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थी एवं कार्यवाही पंजी (जिसकी छायाप्रति प्राप्त है) पर उनके हस्ताक्षर के साथ पंचायत सचिव श्री पासवान एवं श्री ब्रह्मदेव राम, वार्ड सदस्य का स्पष्ट हस्ताक्षर है।

इस नियुक्ति में रोस्टर विन्दु के अनुसार पदों की संख्या महिला एवं पुरुष में निम्नांकित होना चाहिए।

<u>महिला कोटि</u>	
1. अनारक्षित	-05 पद
2. अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-02 पद
3. अनुसूचित जाति	-01 पद
4. पिछड़ी जाति	-01 पद
कुल	-09 पद

<u>पुरुष कोटि</u>	
अनारक्षित	-04 पद
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-02 पद
अनुसूचित जाति	01 पद
पिछड़ी जाति	-01 पद
कुल	-08 पद

इसके विरुद्ध किए गए नियोजन की स्थिति निम्नत पाई गई :-

<u>महिला कोटि</u>	
अनारक्षित	-05 पद
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-02 पद
अनुसूचित जाति	-01 पद
पिछड़ी जाति	-01 पद
कुल	-09 पद

<u>पुरुष कोटि</u>	
अनारक्षित	-04 पद
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-02 पद
अनुसूचित जाति	-01 पद
पिछड़ी जाति	-01 पद
कुल	-08 पद



28

10

दिनांक 27.10.07 की बैठक के निर्णयानुसार पुनः निम्न रूपेण कोटिवार नियुक्ति की गई है।

<u>पुरुष कोटि</u>			
क्रम सं० कोटि	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	विद्यालय का नाम
1	अनारक्षित	अरुण कुमार - स्व० नागेश्वर चौधरी	प्रा० वि० मोरकाही
2	"	उत्तम कुमार - श्री रामकुमार सिंह	"
3	"	सुनील कुमार सुमन - श्री रघुनन्दन प्र० यादव	नव सृ० प्रा० वि० जिरवा प०
4	"	नरोत्तम कुमार - श्री राजकिशोर यादव	"
5	पि० वर्ग	संजय कुमार - श्री रामप्रसाद यादव	प्रा० वि०, मोरकाही
6	अ० पि० वर्ग	राजकिशोर मंडल - श्री भागेश्वर मंडल	"
7	अनु० जाति	उमेश राम - श्री शिवल राम	"
8	अ० पि०	धीरेन्द्र दास - श्री लक्ष्मी दास	सीता क० म० वि०, मधैली
<u>महिला कोटि</u>			
1.	अनारक्षित	मंजू कुमारी - श्री हरिनन्दन प्र० मेहता	प्रा० वि०, मौजमा
2.	"	नीतु कुमारी - श्री मनोज सिंह	नव० सृ० प्रा० वि० जिरवा द०
3.	"	किरण कुमारी - श्री मिश्री लाल यादव	"
4.	"	रितुराज - श्री अरुण कुमार यादव	प्रा० वि०, मोरकाही
5.	अत्यंत पि० वर्ग	मृदुला भारती - श्री रामाशीष ततमा	सीता क० प्रा० वि०, मधैली
6.	"	रेखा कुमारी - श्री पुलकित दास	"
7.	पिछड़ा वर्ग	रिकू कुमारी - श्री दिनेश प्र० यादव	प्रा० वि० हिरोलवा
8.	अनारक्षित	कुमारी पुष्पलता - श्री विनोद कुमार	प्रा० वि० मौजमा

9. एक शिक्षिका सरस्वती भारती जो अनुसूचित जाति की महिला हैं का नियोजन वैध पाए जाने के कारण यथावत नियोजित रखा गया है।

कार्यवाही पंजी, मेघा सूची एवं संगत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त पुरुष कोटि क्रमांक 01 से 08 तक एवं महिला कोटि क्रमांक 01 से 09 तक जिनकी कोटि अंकित किया गया है, रोस्टर के अनुसार निदेश का पालन किया गया है। पंचायत सचिव श्री अवधेश पासवान ने बताया कि पूर्व नियोजित महिला अनुसूचित जाति कोटि की सरस्वती भारती का नियोजन सही पाया गया। अतएव इसे यथावत रखा गया है एवं नियोजन में रोस्टर का अक्षरशः पालन किया गया है। इनके कथन की पुष्टि उपरोक्त कागजात से भी होती है। मुखिया ग्राम पंचायत जिरवा मधैली एवं पंचायत सचिव के बीच विवाद के कारण

एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौड़ चलता रहा और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सिंहेश्वर पूर्व इन तथ्यों को उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और नियमित एवं विधिवत रूप से नियोजित शिक्षकों का मानदेय भुगतान हेतु सम्यक कार्रवाई नहीं हो पाई। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत जिरवा मधेली द्वारा दिया गया उनका प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है।

अतएव अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के आलोक में अग्रत्तर कार्रवाई हेतु समुचित आदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

जिला शिक्षा अधीक्षक  
मधेपुरा।

Ann-4

30

पत्रांक.7.6.3..1

Amesure-4

प्रेषक, श्री नयन रंजन कुमार वर्मा  
जिला शिक्षा अधीक्षक  
मधेपुरा।

सेवा में, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर।  
सचिव, ग्राम पंचायत जिरबा मधैली।

मधेपुरा दिनांक...8/11/08...

विषय :- नियमानुकूल नियोजित पंचायत शिक्षक 2006 के कार्यावधि का मानदेय भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि उपविकास आयुक्त मधेपुरा के पत्रांक 498 दिनांक 23.10.08 के आदेशानुसार ग्राम पंचायत जिरबा मधैली प्रखण्ड शंकरपुर में वर्ष 2006 नियमावली के तहत नियमानुकूल नियोजित पंचायत शिक्षकों के लिए राशि ग्राम पंचायत के सचिव के नाम से उप-आवंटित की जा रही है। इस राशि से उक्त पंचायत में नियमानुकूल नियोजित पंचायत शिक्षकों का कार्यावधि के लिए राशि उप-आवंटित है। वर्ष 2006 के नियमावली के कंडिका 16 में पंचायत शिक्षकों के शिकायत संबंधी मामले में नियमानुकूल नियोजित पंचायत शिक्षकों की जाँच हेतु प्रदत्त शक्ति आपको दिया गया है अंकनीय है कि उक्त राशि निम्नांकित शर्तों के अधीन उप-आवंटित की जा रहा है,

1. यह राशि नियमानुकूल नियोजित पंचायत शिक्षकों के लिए उप-आवंटित है।
2. यह राशि कार्यावधि के लिए उप-आवंटित किया जा रहा है।
3. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन मानदेय दिया जाय।
4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत उप-आवंटित राशि पंचायत सचिव को उपरोक्त शर्तों के तहत ही हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

अतः अनुरोध है कि उप-आवंटित राशि को अपने स्तर से उपरोक्त शर्तों के अधीन, सम्बंधित पंचायत सचिव को हस्तगत कराने का कष्ट करें।

चैक संख्या- 0731322

उप-आवंटित राशि-

विश्वासभाजन

नयन रंजन कुमार वर्मा  
जिला शिक्षा अधीक्षक  
मधेपुरा।

ज्ञापांक...../मधेपुरा, दिनांक.....

प्रतिलिपि-उपविकास आयुक्त, मधेपुरा, जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ सादर समर्पित।

नयन रंजन कुमार वर्मा  
जिला शिक्षा अधीक्षक  
मधेपुरा।

Annexure-5

31  
Annexure-5 Bored



सेवा में,

श्रीमान् ~~निदेशिका~~ महोदय,

~~मध्यपुरा~~ प्राथमिक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

विषय :- योगदान स्वीकृत करते हुए विद्यालय कार्य सम्पादित करने का आदेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मेरी नियुक्त ग्राम पंचायत जीरवा मधौली के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मौजमामें 27-10-08 को हुई तथा विधिमत योगदान करने हेतु आदेश

के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक महोदय के पास आवेदन दिये परन्तु बिना योगदान स्वीकृत किये हुए कार्य सम्पादित करने का मौखिक आदेश दिये, तथा लगातार कार्य करते रहने के बावजूद भी योगदान स्वीकृत नहीं किये और गरीबी के कष्ट से मैं उक्त प्रधानाध्यापक को संतुष्ट कर पायी। इसके संबंधमें ग्राम पंचायत सचिव को शिक्षा यत् किये और योगदान स्वीकृत करने के लिए कहती रही, परन्तु टाल मटोल करते करते

हुर विद्यालय कार्य सम्पादित करवाते रहे और किये गये कार्य का वेतन भी भुगतान का आदेश नहीं दिये तथा आश्वासन सिर्फ देते रहे कि अतिशय आपके योगदान को स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जायेगा। इससे पूर्व भी संबंधित पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिनांक 8-7-09, 16-8-10 तथा 22-7-11 को दिये परन्तु आज तक मेरे योगदान के संबंधमें विधिमत कारवाई नहीं की गयी तथा न ही मुझे वेतन ही दिया जा रहा है।

अतः श्रीमान् मैं निवेदन है योगदान स्वीकर करते हुए शिक्षा कार्य सम्पादित करने के लिए आदेश देने की कृपा करें।

प्रतिनिधि पेषित :-

1. निदेशिका, प्राथमिक शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा, बिहार सरकार, पटना।
2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा।
3. प्रुड शिक्षा, प्रसार पदाधिकारी, सिंधेवर, ।

आपका ही

कुमारी पुष्पलता  
कुमारी पुष्पलता, पति-विनोद कुमार  
घनित पंचायत शिक्षण प्राथमिक मौजमा,  
ग्राम पंचायत जीरवा, मधौली,  
स्थायी पता - ग्राम - झियकिया,  
धाना - धौलाद  
जिला - मधेपुरा



AL PATA HIGH COURT 050000  
C 8P032844044IN  
Center Net3.0-ColexT03  
TOSHIBA SHIMIZI PRC  
Madheura S.O. PIN-80113

Madheura,  
MADHEPURA, 80113

AL PATA HIGH COURT 050000  
C 8P032844044IN  
Center Net3.0-ColexT03  
TOSHIBA SHIMIZI PRC  
Madheura S.O. PIN-80113

सेवा में,

श्रीमान प्रबल शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,  
शंकरपुर, प्रबल शंकरपुर  
जिला मधेपुरा।

विषय :- योगदान स्वीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मेरी नियुक्ति ग्राम पर्यायतजीरगा मधेली कैरतगत प्राथमिक विद्यालय मोजमा में 27.10.07 को हुई तथा विहित योगदान करने हेतु आदेश के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक महोदय के पास आवेदन दिये परंतु बिना योगदानस्वीकृत किए हुए कार्य सम्पानित करने का मौखिक आदेश दिये तथा लगातार कार्य करते रहने के बावजूद योगदानस्वीकृत नहीं किये और गरीबी के चलते पर्यायतसिध सर्व प्रधानाध्यापक का संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके संबंध में सक्षम पदाधिकारी को शिकायत किये तथा योगदान स्वीकृति हेतु निवेदन करते रहे, टालमटोल करते हुए पदाधिकारी गण का आदेश का बहाना बनाते हुए मुझ से कार्य कराते रहे, परंतु नहीं योगदान स्वीकृत किये और नहीं वेतनभुगतान किये। इससे पूर्व भी श्रीमान के कार्यालय में कई आवेदन देते रहे। परंतु आश्वासन के शिवाय अभी तक योगदान नहीं स्वीकृत किये।

अतः निवेदन है कि योगदान स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रीक्षित प्रतिलिपि :-

1. प्रबल शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी  
मधेपुरा

कुमारी सुषमला

आपका

पति - विनोद कुमार  
पंचायत शिक्षिका प्राथमिक मोजमा

प्रखण्ड - शंकरपुर  
जिला - मधेपुरा  
स्थायी पता -

ग्राम - सिटकिया,  
थाना - धौलाद,  
जिला - मधेपुरा  
दिनांक 01-10-12 -

भारतीय डाक



KL PRIMA HIGH COURT CROSS  
C. PO. 0280003025111  
Dawler No. 31/P-Code: 859096  
Telex: 999999 E P OFFICER, P. 3111111111  
Madhepura S.O. PIN-802113

Mt: 23/09/06  
Airtel: 22.00, 01/10/2012, 13:02

भारतीय डाक



KL PRIMA HIGH COURT CROSS  
C. PO. 0280003025111  
Dawler No. 31/P-Code: 859096  
Telex: 999999 E P OFFICER, P. 3111111111  
Madhepura S.O. PIN-802113

Mt: 23/09/06  
Airtel: 22.00, 01/10/2012, 13:02